तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	न. व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

सुनील पारीक बनाम

लोक सूचना अधिकारी (अतिरिक्त जिला कलक्टर–शहर प्रथम, जोधपुर)

सू.अ. अपील संख्या 34 / 2024

24 / 04 / 2024

अपीलार्थी सुनील पारीक निवासी सेक्टर एच, मकान नं. 31, जीडब्ल्यूडी रोड़, शास्त्रीनगर, जोधपुर ने सूचना का अधिकार के तहत उसके द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 06.03.2024 में वर्ष 1980 से 2024 तक वर्तमान में जीवित समस्त पेंशनधारी एवं सक्रिय जनप्रतिनिधियों जो राजस्थान राज्य सरकार एवं भारत सरकार के सरकारी धन से प्रतिमाह / प्रतिवर्ष नियमानुसार धनराशि एवं अन्य सरकारी सुविधाएं प्राप्त कर रहे है, उन समस्त पेंशनधारी एवं सकिय जनप्रतिनिधियों के सरकारी रिकॉर्ड में आज दिनांक तक उपरोक्त वर्षो में उपलब्ध समस्त पेन कार्ड्स नम्बर प्रदान कराने एवं चाही गई सूचना सरकारी फीस प्रदान करके देखने के लिए लोक सूचना अधिकारी (अतिरिक्त जिला कलक्टर–शहर प्रथम, जोधपुर) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो. पक्ष (अतिरिक्त जिला कलक्टर–शहर प्रथम, जोधपुर) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो. पक्ष (अतिरिक्त जिला कलक्टर–शहर प्रथम, जोधपुर) ने जरिये पत्रांक 1683 दिनांक 09.04.2024 द्वारा बतलाया कि प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना व्यक्तिगत सूचना होने से सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 8(1)(ञ) के अंतर्गत दिया जाना अपेक्षित नही है। जिसकी सूचना प्रार्थी को जरिये पत्रांक 1662 दिनांक 28.03.2024 द्वारा प्रेषित की गई।

चूंकि अपीलार्थी [illegible] दिये जाने की स्थिति में स्पष्टीकरण से लोक सूचना अधिकारी [illegible] दिया गया है अतः लोक सूचना अधिकारी [illegible] कार्यवाही अपे[illegible] होने से अपील इस स्टेज पर निरस्त योग्य होने [illegible] निरस्त की जाती है[illegible] आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Gaurav Agrawal
Date: 2024.05.06 10:25:54 IST
Reason: Self Attested